कार्यालय कलेक्टर एवं जिला ई–गवर्नेंस सोसायटी
जिला–मुंगेली (छ.ग.)

क्र./आधार/ ASK भर्ती /विज्ञापन/2026/ 349 मुंगेली मुंगली, दिनांक: 25 /08/2026

–: विज्ञापन :–

संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय चिप्स, रायपुर के पत्र क्रमांक 1141, दिनांक 16.09.2026 एवं पत्र क्रमांक 49/समुकाअ./चिप्स/आधार/रायपुर, दिनांक 09.04.2026 के परिप्रेक्ष्य में ग्राम पंचायत स्तर पर आधार सेवा केन्द्रों के संचालन हेतु आधार सुपरवाइजर/ऑपरेटर का चयन किया जाना है। आधार सेवा केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है–

Gram Panchayat Level Aadhar Center				
Sr. No	District	Block	Cluster Level GP Name Proposed for Aadhar Centre Establishmet	Number of Aadhaar Seva Kendras
1	MUNGELI	MUNGELI	FASHTERPUR	01
2			TEMRI	01
3			PANDARBHATTHA	01
4		LORMI	KHUDIYA	01
5			BARAMPUR	01
6			LAGRA	01
7			DEVERHAT	01
8		PATHARIYA	BADARA B	01
9			AMORA	01
TOTAL				09

आधार संचालक / ऑपरेटर के चयन हेतु पात्रता एवं चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी –

अ. आधार संचालक / ऑपरेटर के रूप में चयन के लिए अर्हता :-

1. आवेदक कम से कम उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण हो, वर्तमान में किसी भी संस्था का नियमित विद्यार्थी न हो।
2. आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा का प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य होगा।
3. आवेदक प्रतिभूति, बीमा, बैंक गारंटी या अन्य किसी भी तरीके से पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने में सक्षम हो।
4. कोई व्यक्ति आधार संचालक / ऑपरेटर के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह अच्छे सदाचारिक चरित्र का न हो अथवा किसी दण्डनीय अपराध के लिए सिद्ध दोषी किया जा चुका हो।
5. पूर्व/वर्तमान में कार्यरत आधार केन्द्र संचालक / ऑपरेटर की स्टेशन आई.डी. में कोई भी पेनाल्टी राशि भुगतान हेतु लंबित न हो।

D:\Letter

Scanned with OKEN Scanner

6. वर्तमान में इन-हाउस मॉडल अंतर्गत कार्यरत आधार केन्द्र संचालक / ऑपरेटर तथा जिन्हें इन-हाउस मॉडल के अंतर्गत Station ID / Credential ID आवंटित की गई है, वे इस चयन प्रक्रिया हेतु पात्र नहीं होंगे।
7. आधार केन्द्र संचालक / ऑपरेटर को **NSEIT** द्वारा आयोजित **IT EA Supervisor/Operator** की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, जिसके उपरांत **UIDAI** द्वारा पंजीयन (Registration) नंबर प्रदान किया जाता है।

ब. आधार केन्द्र संचालक / ऑपरेटर चयन की प्रक्रिया :-

08. आवेदक को मुंगेली जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
09. आवेदन केवल निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना होगा।
10. आवेदक द्वारा केवल एक ही पंचायत कार्यालय के लिए आवेदन किया जावे। एक से अधिक आवेदन करने या आवेदन पत्र में एक से अधिक कार्यालय का नाम होने पर सभी आवेदनों को निरस्त किया जायेगा।
11. चिप्स कार्यालय द्वारा प्रदाय स्टेशन आई.डी. जिसे वर्तमान में आवेदक द्वारा संचालित किया जा रहा हो, के लिए आवेदक द्वारा केवल एक ही आवेदन मान्य होगा।
12. आवेदक को उसी स्टेशन आई.डी. का पूर्व से स्वामी (Owner) होना अनिवार्य है अथवा आवेदक उस स्टेशन आई.डी. का स्वामित्व रखता हो अथवा उस स्टेशन आई.डी.का संचालन किया हो।
13. आवेदन वही मान्य होगा, जिस आवेदक के पास **ChIPS Credential ID** एवं **Station ID** हो तथा वर्तमान में Active हो।
14. पात्र / अपात्र सूची के दावा-आपत्ति निराकरण उपरांत दस्तावेज सत्यापन किया जायेगा। दस्तावेज सत्यापन के आधार पर पंचायतवार आवेदकों की सूची तैयार की जायेगी। आधार केन्द्रों की संख्या के अनुसार प्रतीक्षा सूची तैयार कर कौशल परीक्षा आयोजित की जायेगी। प्रतीक्षा सूची 01 वर्ष के लिये वैध मानी जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों के कार्य नहीं करने, यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा सस्पेंड होने अथवा बर्खास्त होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से क्रमशः अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
15. चयनित अभ्यर्थियों को ₹1,50,000/- (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र) का सुरक्षा जमा राशि एफ.डी.आर. (FDR) के रूप में जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी को अनुबंध के समय जमा करना होगा।
16. चयनित अभ्यर्थी का आधार पंजीयन एजेंसी का लाइसेंस सत्यापन कराया जायेगा। प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
17. चयनित आधार ऑपरेटर को अपने निर्धारित कार्यालय में कार्यालयीन दिवस / समयानुसार स्वयं उपस्थित होकर अपनी सेवाएं प्रदान करना होगा।
18. कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी, जिला मुंगेली द्वारा आवश्यकतानुसार निर्धारित शासकीय कार्यालय में परिवर्तन किया जा सकता है।
19. कार्यालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न विभागों के विभिन्न आधार पंजीयन / अद्यतन शिविर आयोजित किए जाते हैं। आवश्यकतानुसार चयनित आधार केन्द्र संचालक / ऑपरेटर को उक्त शिविरों में अपनी सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य होगा।
20. निर्धारित परिसर हेतु चयनित / कार्यरत आधार संचालक / ऑपरेटर को आवश्यकतानुसार जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी, जिला मुंगेली द्वारा अन्य शासकीय कार्यालय में परिवर्तित किया जा सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला ई–गवर्नेंस सोसायटी
जिला–मुंगेली (छ.ग.)

21. चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
22. आवेदन पत्र केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से दिनांक 07/09/2026 सायं 05:30 बजे तक कार्यालय कलेक्टर, जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी, कक्ष क्रमांक 205 जिला मुंगेली, पिन – 495334 के पते पर स्वीकार किये जायेंगे।

नोडल अधिकारी
जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी,
जिला मुंगेली (छ.ग.)

क्र./आधार/ ASK भर्ती /विज्ञापन/2026/350 मुंगेली मुंगली, दिनांक: 25/08/2026

प्रतिलिपि :

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छ.ग. स्टेट डाटा सेंटर भवन, रायपुर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुंगेली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. मुंगेली को सूचनार्थ एवं जिले की वेबसाइट में प्रकाशन हेतु।

नोडल अधिकारी
जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी,
जिला मुंगेली (छ.ग.)

D:\Letter

Scanned with OKEN Scanner

ग्राम पंचायत स्तर पर आधार सुपरवाइजर / ऑपरेटर के पदों पर भर्ती हेतु
आवेदन पत्र

जिस शासकीय कार्यालय / ग्राम पंचायत हेतु आवेदन किया जा रहा है :- ----------

1. आवेदित पद का नाम : _____
2. आवेदक का नाम : _____

3.पिता / पति का नाम : _____
4.जन्मतिथि : _____
5.आयु : _____
6.पत्राचार का पता : _____

8.मोबाइल नंबर : _____
9.ई-मेल आई.डी. : _____
10.शैक्षणिक योग्यता :

क्र.	परीक्षा	संस्था / विश्वविद्यालय	विषय	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत
1						
2						
3						
4						

11. पेनाल्टी राशि लंबित है (हाँ / नहीं) :- _____
यदि हाँ, तो पेनाल्टी जमा रसीद संलग्न है : हाँ / नहीं :- _____

12. आधार संचालन अनुभव:-

- आधार केन्द्र / संस्था का नाम :- _____
- स्टेशन आईडी :- _____
- Active NSEIT Certificate No. :- _____
- कार्य स्थल :- _____

13. संलग्न दस्तावेज :-
1. 10 वीं प्रमाण पत्र 2. 12 वीं प्रमाण पत्र 3. कम्प्यूटर डिग्री/डिप्लोमा 4. पेनाल्टी रसीद 5. निवास प्रमाण पत्र 6. NSEIT प्रमाण पत्र 7. आधार कार्ड।

// घोषणा //

मैं _____, पिता/पति का नाम _____, निवासी _____, एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई समस्त जानकारी एवं संलग्न दस्तावेज मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं। यदि कोई जानकारी अथवा दस्तावेज असत्य पाए जाते हैं, तो मेरा आवेदन निरस्त किए जाने तथा नियमानुसार की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक : _____

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम : _____

Scanned with OKEN Scanner